:: राजस्थान में पंचायती राज का सशक्तिकरण ::

- पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जनवरी/फरवरी, 2005 में सम्पादित करवाये गये।
- नव निर्वाचित पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत समस्त जिला प्रमुखों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की तीन दिवसीय संयुक्त आमुखीकरण कार्यशाला दिनांक 4 अप्रेल से 9 अप्रेल, 2005 तक, समस्त प्रधानों एवं विकास अधिकारियों की तीन दिवसीय संयुक्त आमुखीकरण कार्यशाला दिनांक 5 मई से 7 मई, 2005 तक, समस्त संरपचों एवं ग्राम सेवकों की छः दिवसीय संयुक्त आमुखीकरण कार्यशाला दिनांक 30 मई से 4 जून, 2005 तक एवं समस्त वार्ड पंचों हेतु एक दिन की आमुखीकरण कार्यशालाएं 6 जून से 18 जून, 2005 तक आयोजित की गई। विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में 88518 जन प्रतिनिधियों के साथ 7995 पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया।

सामाजिक सुधारः

- अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग/महिला के लिए आरक्षित अध्यक्ष के पद से हटने पर उसी वर्ग के सदस्य को अध्यक्ष बनाने का प्रावधान है।
- अन्य पिछडा वर्ग के लिए पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में आरक्षण 15% से बढाकर 21% किया गया।
- अनुसूचित क्षैत्र में पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष पद अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये गये।
- वार्ड/ग्राम सभा की बैठक में गणपूर्ति हेतु आरक्षित वर्गों के सदस्यों की उपस्थिति उनकी जनसंख्या के अनुपात में रखी गई है।

निर्वाचन सम्बन्धी सुधारः

- व्यक्ति जिनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा ऐसे किसी अपराध का, संज्ञान ले लिया है और आरोप विरचित कर दिये है, जो 5 वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय हो, के चुनाव लडने पर प्रतिबन्ध
- राज्य सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्त पोषित स्थानीय प्राधिकरण के अधिन वैतनिक, पूर्णकालिक या अंशकालिक व्यक्ति चुनाव लड़ने के अयोग्य
- एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक स्थानों पर चुनाव लडने पर रोक

संरचनात्मक सुधार:

- ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्माण व उनके क्रियान्वयन में ग्रामीण समुदाय की सहभागिता में बढोत्तरी हेतु वार्ड सभा का गठन किया गया।
- वार्ड/ ग्राम सभाओं को विभिन्न विकास योजनाओं में कार्यों का चिन्हीकरण, प्राथमिकता निर्धारण एवं क्रियान्वयन तथा लाभार्थियों का चिन्हीकरण, सम्पादित कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण आदि कार्यो के वृहत अधिकार प्रदान।
- पंचायती राज संस्थाओं द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में अध्यक्षों के साथ साथ सदस्यों की भी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु सभी स्तरों पर स्थाई समितियों के गठन का प्रावधान किया गया।
- पंचायती राज की त्रि–स्तरीय व्यवस्था में तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से प्रधान को जिला परिषद् का तथा सरपंचों को पंचायत समिति का सदस्य बनाया गया।
- पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय स्वायत्ता देने हेतु राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के स्तर से हस्तान्तरित राशि के अलावा स्वयं के स्तर पर सृजित आय को उनके स्तर पर उपयोग करने के पूर्णरूपेण अधिकार दिये गये हैं। निजि आय से नवीन पदों के सृजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा तथा नवीन वाहन का क्रय राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावेगा।
- पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक अधिकार देने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं विकास अधिकारी के वर्ष 2003–04 से वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के लिए क्रमशः जिला प्रमुख एवं प्रधान को प्रतिवेदक अधिकारी बनाया गया है।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का जिला परिषद में विलय।
- अनुसूचित क्षैत्रों में स्वायत्ता प्रदान करने के लिए राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 लागू किया गया।
- ग्राम पंचायतों द्वारा करवाये गये विकास कार्यों में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 323(3) में संशोधन किया गया जिससे अब विकास कार्यो से सम्बन्धित रिकार्ड यथा मस्टरोल और वाउचर की नकल कोई भी व्यक्ति निश्चित राशि जमा करवाकर, निश्चित की गयी समय सीमा में प्राप्त कर सकता है।
- ग्रामीण अंचल में सस्ता न्याय सुलभ कराने के लिये पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी के अधिकार जो वर्ष 2002 में जिला कलक्टरों से वापस ले लिये गये थे को पुनः दिसम्बर, 2004 से ये अधिकार जिला कलक्टरों को दिये गये है।
- पंचायती राज अधिनियम की धारा 111 में पंचायती राज संस्थाओं के किसी सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की लापरवाही से पंचायती राज संस्था के धन या सम्पत्ति की हानि होती है तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जांच एवं वसूली की कार्यवाही के अधिकार जो निदेशक, पंचायती राज के पास थे अब ये अधिकार जिला परिषद् के मामलों में जिला कलक्टर को तथा पंचायत समिति व ग्राम पंचायत के लिए अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी को प्रद्त्त किये गये है।

- **संविधान की 11वीं अनुसुची में वर्णित 29 विषय संबंधी गतिविधियों का राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरणः**

कुछ मुख्य गतिविधियों का मय कार्मिकों के हस्तानान्तरण निम्नानुसार हैः–

- कृषि/कृषि विस्तार गतिविधि सहायक निदेशक स्तर के कार्मिकों सहित जिला परिषद्/पंचायत समिति को हस्तान्तरित।
- जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग का नियन्त्रण कृषि विभाग से हटा कर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के अधीन किया गया।
- 300 हेक्टेयर तक क्षमता के सिचाई तालाब कार्मिकों सहित पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित।
- 'घ' प्रवर्ग के मत्स्य जलाशय ग्राम पंचायत, 'ग' प्रवर्ग के मत्स्य जलाशय पंचायत समिति तथा 'ख' प्रवर्ग के मत्स्य जलाशय जिला परिषद को सहायक निदेशक स्तर के सहायक कार्मिकों सहित स्थानान्तरित।
- सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी और लघु वन उपज संबंधी गतिविधि जिला स्तर तक के सहायक कार्मिक सहित पंचायत समितियों को हस्तान्तरित।
- ग्रामीण विद्युतिकरण के लिये गॉवों के विद्युतिकरण के राज्य द्वारा आवंटित लक्ष्य के अनुरुप नये गांवों का चयन जिला परिषद द्वारा किया जावेगा।
- ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में बिजली के बिल वितरण संबंधी कार्यो को, यदि करवाना चाहे, तो ऐसे कार्यो को लेने हेतु उन्हे अधिकृत किया गया।
- हाट बाजार की रख–रखाव कृषि विभाग से संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित।
- जिला महिला विकास संस्था का नियन्त्रण जिला परिषद् के अधीन किया गया।
- उप निदेशक, जिला महिला एवं बाल विकास एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी मय कार्मिकों एवं गतिविधियों सहित क्रमशः जिला परिषद् एवं पंचायत समिति के अधीन किये गये।
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर संचालित सभी गतिविधियां मय उप निदेशक/सहायक निदेशक स्तर तक के अधिकारियों एवं कार्मिकों सहित जिला परिषद को हस्तान्तरित।
- प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत लाभ पाने इच्छुक व्यक्तियों की सूची जिला परिषद के माध्यम से अनुमोदित की जावेगी।
- लघु उधोगों के प्रस्ताव पंचायत समिति की संबंधित स्थाई समिति की बैठक में चर्चा हेतु प्रस्तुत किये जायेंगे।

- पंचायती राज संस्थाओं को पूर्व में हस्तान्तरित गतिविधियों, इनसे जुड़े कर्मचारियों एवं फण्ड्स के हस्तान्तरण की कार्यवाही की समीक्षा करने तथा इन संस्थाओं के स्वशाषी ईकाई के रूप में सशक्तिकरण के लिए मापदण्ड सुझाने हेतु गठित मंत्रीमंडलीय समिति से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। समिति की रिपोर्ट मंत्रीमंडल से अनुमोदन हेतु मंत्रीमंडल सचिवालय को भिजवाई गई है।

गतिविधि मानचित्रणः

- पंचायती राज संस्थाओं के तीनो स्तरों में कार्यो के दायित्वों के विभाजन हेतु 18 विभाग यथा महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि विभाग, भू–संरक्षण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, प्रारम्भिक एव माध्यमिक शिक्षा विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, उद्योग विभाग, खाद्य विभाग, पर्यटन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उर्जा विभाग एवं तकनिकी शिक्षा विभाग की गतिविधि मानचित्रण का कार्य पूर्ण हो गया है।

जिला आयोजना समितिः

- संविधान के अनुच्छेद 243 ZD में दिये गये प्रावधानों के अनुसार जिला आयोजना समिति का समावेश राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 121 में किया गया है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 350, 351 एवं 352 में जिला आयोजना समिति के गठन, निर्वाचन एवं समिति की शक्तियों एवं कृत्यों का विस्तार से प्रावधान किया गया है।
- राज्य के समस्त जिलों में जिला आयोजना समितियों का, वर्तमान में निर्वाचित जिला परिषद्/नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए, जिला प्रमुख की अध्यक्षता में गठन किया गया है।
- मुख्य आयोजना अधिकारी, जिला आयोजना समिति के सचिव नियुक्त किये गये हैं। जिला आयोजना शाखा जिला परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण में मुख्य आयोजना अधिकारी के अधीन, जिला आयोजना समिति के सचिवालय का कार्य करेगीं।
- योजना आयोग से निर्देशानुसार 11वीं पंचवर्षी योजना निर्माण जिला आयोजना समितियो ं के माध्यम से किये जाने की कार्यवाही के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला स्तर पर योजना तैयार करने की कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पूण की गई। इस नवाचार से पंचायती राज सं स्थाओं एवं नगर निकायों के प्रत्येक स्तर की भागीदारी हुई है ।

राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवाः

- राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा का मंत्रीमंण्ल से अनुमोदन हो चुका है। इसके नयम शीघ्र अधिसूचित किये जा रहे है।

आदर्श ग्राम पंचायत एवं मिनी सचिवालयः

- राजस्थान राज्य में ग्राम स्तरीय सेवाओं को लाभार्थियों एवं ग्रामीण जनता को सुलभ करवाने हेतु प्रयास किये जा रहे है। मॉडल (आदर्श) ग्राम पंचायत एवं मिनी सचिवालय की अवधारणा प्रारंभ की गई है ताकि ग्राम स्तरीय कार्मिक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर

उपलब्ध हो सके तथा अध्यक्ष, पंचायती राज संस्था की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली पाक्षिक बैठक में भाग ले सके।

- इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ग्राम स्तरीय सेवाओं को सुलभ कराने में सुधार तथा जन अभाव अभियोगसें के निस्तारण हेतु अध्यक्ष, पंचायती राज संस्था का सशक्तिकरण करना है। प्रत्येक पंचायत समिति में कम–से–कम एक ग्राम पंचायत को मॉडल (आदर्श) ग्राम पंचायत बनाकर उसमें मिनी सचिवालय की अवधारणा लागू की जावेगी।
- सभी मॉडल (आदर्श) ग्राम पंचायतों में पर्याप्त सुविधायुक्त भवन व्यवस्था की जावेगी जिसमें समस्त ग्राम स्तरीय विभागीय कार्मिकों के बैठने में लिए पर्याप्त कमरें एवं फर्नीचर हो तथा विभिन्न विभागों की गतिविधियों से सम्बन्धित स्थानीय स्तर की समस्यों के समाधान हेतु सरपंच/अध्यक्ष, पंचायती राज संस्था द्वारा ग्राम स्तरीय कार्मिकों की पाक्षिक ली जाने वाली बैठकों हेतु सभा कक्ष हो।
- मिनी सचिवालय की व्यवस्था में सभी ग्राम स्तरीय कार्मिक सरपंच/अध्यक्ष, पंचायती राज संस्था के नियन्त्रण में कार्य करेगें। सम्बन्धित ग्राम पंचायत के ग्राम सेवक इसके प्रभारी होगें। प्रत्येक माह में दो दिवस (12 एवं 27 तारीख) को आवश्यक रूप से बैठक होगी। पंचायत की स्थायी समितियों की भी उसी दिन आयोजित की जावेगी जिसमें महत्वपूर्ण विषयों को सूचिबद्ध किया जावेगा जिन पर आगामी पंचायत की बैठक में विचार–विमर्श किया जा सकेगा। प्रतिदिन आने वाले प्रार्थना पत्रों एवं जन अभाव अभियोगों के संधारण एक रजिस्टर रखा जावेगा। अन्तर विभागीय मुद्दे बैठक में चर्चा किये जावेगें तथा सभी विभागों की प्रगति की समीक्षा बैठक में की जावेगी। चार या पांच पंचायतों के समूह पर जिला स्तरीय अधिकारी या विकास अधिकारी को प्रत्येक समूह का प्रभारी अधिकारी बनाया जावेगा। वे इन ग्राम पंचायतों के क्रिया कलापों की मोनीटरींग तथा मार्गदर्शन करेगें।
- ग्राम पंचायत स्तर पर मिनी सचिवालय की अवधारणा लागू करने हेतु प्रत्येक पंचायत समिति में एक ग्राम पंचायत को मॉडल (आदर्श) ग्राम पंचायत बनाने हेतु 237 ग्राम पंचायतों का चयन कर लिया गया है। इन सभी चयनित 237 ग्राम पंचायतों में आदर्श ग्राम पंचायत एवं मिनी सचिवालय की अवधारणा को व्यवहार में लागू किया जावेगा।

राज्य वित्त आयोग– द्वितीयः

- पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में वर्ष 2000–2001 से 2004–2005 तक रूपये 491.88 करोड उपलब्ध कराये गये।
- राज्य वित्त आयोग– द्वितीय की सिफारिशानुसार पंचायती राज संस्थाओं के कुल अनुदान में से 85% अनुदान राशि ग्राम पंचायत, 12% अनुदान राशि पंचायत समिति और 3% अनुदान राशि जिला परिषदों को आवंटित की गई।
- जिला स्तर पर आवंटित की जाने वाली राशि का 80% 1991 की जनसंख्या, 10% क्षैत्रफल, 5% साक्षरता एवं 5% गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर आवंटित किया गया। जिलेवार वितरण के बाद पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को राशि का वितरण जनसंख्या के आधार पर किया गया।

- पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान ग्रामीण क्षैत्र में आधरभूत जनसेवाओं के सृजन, सुधार सुदृढीकरण, संवर्द्धन, उन्नयन, विस्तार और रख–रखाव के उपयोग के लिए दिया गया। यह राशि स्कूल भवनों और अन्य सामुदायिक भवनों के रख–रखाव एवं उनकी मरम्मत, बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा को बढावा देने तथा बस अड्डे, शौचालय और प्याउ जैसी जनसुविधाओं के निर्माण के लिए तथा ऐसे अधूरे कार्य जिनकी योजनाएं बन्द हो चुकी हैं अथवा कार्य पूर्ण कराने हेतु संबंधित योजनान्तर्गत राशि उपलब्ध नही है, को पूर्ण करने के उपयोग में भी लेने हेतु दी गई।
- जिला परिषद/पंचायत समितियो के क्षैत्राधिकार में क्रियान्वित होने वाली विभिन्न ग्रामीण विकास की योजनाओं के पर्यवेक्षण व मोनीटरींग में भी अनुदान का उपयोग करने की व्यवस्था की गई।

प्रोत्साहन योजनाः

- राज्य वित्त आयोग– द्वितीय द्वारा ग्राम पंचायतों को उनके स्वयं के संसाधनों में वृद्धि के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ''प्रोत्साहन योजना'' आरम्भ किए जाने की सिफारिश की गई थी।
- इस ''प्रोत्साहन योजना'' के तहत यदि कोई ग्राम पंचायत पंचायती राज अधिनियम/नियमों के अध्यधीन रहते हुए उनमें उल्लिखित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अपनी निजी आय में वृद्धि करती है तो संगृहीत किए गए अतिरिक्त राजस्व राशि के बराबर अनुदान उस ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन अनुदान के रूप में आवंटित की गई।
- ग्राम पंचायत को प्रोत्साहन अनुदान के रूप में रूपये 11.21 करोड उपलब्ध कराये गये।

ग्यारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदानः

- ग्यारहवें वित्त आयोग के तहत राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान के रूप में वर्ष 2000–2001 से 2004–2005 तक रूपये 490.95 करोड उपलब्ध हुये। अनुदान राशि ग्रामीण क्षैत्रों में जनसेवाओं के रख–रखाव जिसमें प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छ पेयजल, गलियों एवं सड़कों पर प्रकाश, सफाई जिसमें ड्रेनेज एवं शौचालय सुविधा शामिल है व शव एवं कब्रिस्तान तथा जन सुविधाओं एवं अन्य सामुदायिक सम्पत्तियों के रख–रखाव के उपयोग हेतु उपलब्ध करवायी गई।
- ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के संधारण हेतु रूपये 1884.20 लाख और डाटाबेस सृजन हेतु राशि रूपये 754.08 लाख रखे गये है। जिला परिषद् एवं पंचायत समिति स्तर की नेटवर्किंग की सुविधा विकसित करने हेतु विभाग द्वारा मूलतः पंचायती राज मुख्यालय, समस्त 32 जिला परिषदों एवं समस्त 237 पंचायती समितियों तथा 1100 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर–हब के रूप में

विकसित करने की तैयार की गई ''करिश्मा'' (CARISMA) नाम की योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

बारहवें वित्त आयोगः

- बारहवें वित्त आयोग के तहत वर्ष 2005–06 में अनुदान राशि रूपये 24600.00 लाख के वित्तीय प्रावधान के विरूद्ध राशि रूपये 24600.00 लाख पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई।
- अनुदान राशि ग्रामीण क्षैत्रों में पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं सम्बन्धी सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को सुदृढ बनाने तथा पंचायती राज संस्थाओं में डाटाबेस सृजन और लेखों के उपयुक्त संधारण हेतु उपलब्ध करवायी गई है।
- वर्ष 2006–07 में राशि रूपये 24600.00 लाख का वित्तीय प्रावधान के विरूध 12300.00 लाख पंचायती राज संस्थाओं के हस्तान्तरित की गई।

राज्य वित्त आयोग–तृतीयः

- राज्य वित्त आयोग–तृतीय के तहत वर्ष 2005–06 में अनुदान राशि रूपये 15757.00 लाख पंचायती राज संस्थाओं को हस्तानान्तरित की गई।
- वर्ष 2006–07 में अनुदान राशि रूपये 18004.00 लाख का वित्तीय प्रावधान के विरूध 9002.00 लाख पंचायती राज संस्थाओं के हस्तान्तरित की गई।

पंचायती राज के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं की क्रियान्विति की जा रही हैः

1. दीनदयाल उपाध्याय आदर्श गाँव योजना
2. राष्ट्रीय सम विकास योजना।
3. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना।
4. रियायती दर पर आवासीय भूखण्ड आवंटन।
5. पन्नाधाय जीवन अमृत योजना।